<u>वेबसाइट के लिए</u>

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

"सरकार एक ऐसा कार्य-दल बनाने का प्रयास है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है"

विज्ञापन संख्या आईसीएमआर/भर्ती/जेटीओ-डीआर/02/2024-स्था. दिनांक: 30.07.2024

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पदों के लिए भर्ती-सूचना

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। आईसीएमआर अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और देश भर में स्थित अपने 27 संस्थानों/केंद्रों तथा बहु संख्यक फील्ड स्टेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में जैव चिकित्सा/स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित कार्य कर रहा है।

2. आईसीएमआर भारतीय नागरिकों से मुख्यालय, नई दिल्ली तथा भारत भर में स्थित आईसीएमआर संस्थानों/केन्द्रों के अंतर्गत हिंदी संवर्ग, के समूह 'बी' के निम्नलिखित पदों को **अखिल भारतीय स्थानांतरण के दायित्व के साथ** सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:-

पद का नाम एवं श्रेणी	वेतनमान	आयु
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ) 03 पद (अनारक्षित-02, अनुसूचित जाति-01)	वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (रु. 35400-1,12,400) (7वें केंद्रीय वेतन कमीशन का वेतन) और समय-समय पर यथाग्राह्य दैनिक भत्ते	अधिकतम 30 वर्ष

ध्यान दें: जेटीओ का 01 पद बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया है और पीडब्ल्यूबीडी (बधिर और एचएच) के लिए निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2024 सायं 5:30 बजे तक है।

3. महत्वपूर्ण बिंदु:

i. इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति से लेकर चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र सहित प्रारंभ में नियुक्ति का स्थान, औपचारिक रूप से पात्र अभ्यर्थियों आदि की जानकारी आईसीएमआर की वेबसाइट www.icmr.nic.in पर उपलब्ध होगी। आईसीएमआर अन्य स्रोतों से उपलब्ध जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ii. इस संबंध में, कोई भी परिशिष्ट/शुद्धि-पत्र/अद्यतन सूचना आईसीएमआर की वेबसाइट www.icmr.nic.in पर दी जाएगी। आवेदनों की छंटनी, लिखित परीक्षा की समय-सारणी, दस्तावेजों का सत्यापन, तारीख, समय और चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम से संबंधित आगे की जानकारी केवल आईसीएमआर की वेबसाइट www.icmr.nic.in पर ही दी जाएगी और प्रदर्शित की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए आईसीएमआर की उक्त वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

iii. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने से पहले इन दिशा-निर्देशों को सावधनीपूर्वक पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रहें। यदि पंजीकरण फॉर्म / आवेदन पत्र के कॉलम गलत तरीके से भरे गए हैं और पंजीकृत / जमा किए गए हैं, तो उम्मीदवार को प्रविष्टियों में परिर्वतन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी उम्मीदवारी उसी के अनुसार तय की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टियों को गलत रूप में भरने के कारण आवेदन पत्र रद्द किए जाने की स्थिति में, पुनर्विचार के लिए कोई पत्राचार / अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. **रिक्त पदों का विवरण, शैक्षिक अर्हकता और पात्रता मानदंड।**

क्र. सं.	पदों का विवरण	शैक्षिक अर्हकताएं एवं अनुभव
1.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ) 03 पद (अनारक्षित-02, अनुसूचित जाति-01)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के

		माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि, **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि, **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पि विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि; **और** हिंदी से अंग्रेजी एवं इसके विपरीत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्र या भारत सरकार के उपक्रमों सहित राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** अन्यथ्रा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में महानिदेशक, आईसीएमआर के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 2:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताओं में महानिदेशक, आईसीएमआर के विवेकानुसार छूट दी जा

		सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में महानिदेशक, आईसीएमआर की यह राय हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो

नोट:

i. इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आईसीएमआर, नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कहीं भी तैनात किया जा सकता है, क्योंकि ये पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व के है।

ii. उपरोक्त रिक्तियों की संख्या अनंतिम हैं और ये परिवर्तन के अधीन हैं। सक्षम प्राधिकारी भर्ती के किसी भी चरण में आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में इस विज्ञापन को वापस लेने या इस विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते है।

6. आयु - सीमा:

i. अधिकतम आयु सीमा **30** वर्ष है (आरक्षित वर्ग अर्थात एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी आदि के लिए लागू भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार छूट है)

ii. अधिकतम आयु सीमा की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

iii. आयु निर्धारण के लिए केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म-तिथि ही स्वीकार की जाएगी,तत्पश्चात इसमें परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे मंजूर नहीं जाएगा।

iv. अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

7. चयन प्रक्रिया:

- सर्वप्रथम,उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर सभी आवेदनों की जांच की जाएगी।

- लिखित परीक्षा (सीबीटी) केवल छंटनी किए गए आवेदनों के लिए ही आयोजित की जाएगी। हालांकि, सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिखित परीक्षा (सीबीटी) के लिए बुलाया जा सकता है। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच कर लें और स्वयं को संतुष्ट कर लें।

- चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के कुल **100** अंकों में से उसके प्राप्तांकों की गुणवत्ता सूची (मेरिट सूची) के आधार पर किया जाएगा।

  लिखित परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी:

- भाग-I (60 अंक) इसमें स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सामान्य वैज्ञानिक जानकारी (ज्ञान) शामिल है;

- भाग-II (40 अंक) इसमें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना।

- सीबीटी में न्यूनतम अर्हकता अंक - अनारक्षित के लिए 50% अंक और एससी/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक होंगे।

- **<u>बराबरी के मामलों का समाधान</u>**: कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों के बराबर/एक समान अंक आने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके एक के बाद एक का समाधान किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का समाधान न हो जाए:-

  i) जन्म तिथि, जिसमें अधिक उम्र के उम्मीदवारों को ऊपर रखा जाएगा।

  ii) नामों का वर्णमाला क्रम।

8. आवेदन शुल्क :- 300/- (तीन सौ रुपये मात्र) का आवेदन शुल्क **(अप्रतिदेय)** अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट है। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन पत्र में दिए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से करना होगा। एक बार भुगतान हो जाने के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

9. भुगतान का तरीका- अभ्यर्थी उपरोक्त आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके जमा कर सकते हैं।

10. आवेदन करने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुदेश-

i. सरकारी सिविल कर्मचारियों (केन्द्रीय / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / स्वायत्त / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / सांविधिक निकाय आदि संगठन) को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक नियमित आधार पर (तथा तदर्थ / अनुबंध के आधार पर परियोजना नहीं) कम से कम 03 (तीन) वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए तथा वर्तमान विज्ञापन के तहत आईसीएमआर से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने तक उन्हें उपरोक्त किसी भी कार्यालय में सिविल पद पर सरकारी सेवा में बने रहना होगा।

ii. आयु में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, उन्हें अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी से अनुलग्नक-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र भी आईसीएमआर द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से सतर्कता और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है।

नोट: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आईसीएमआर को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए आवेदन करने या उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) [बधिर और एच एच] के लिए आवेदक :

i. रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) और श्रवण विकलांग अर्थात बधिर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उचित है, ।

ii. केवल वे बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जो बेंचमार्क दिव्यांगता (न्यूनतम 40%) से ग्रस्त हैं, वे शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण, जहां भी लागू हो, के लिए पात्र हैं।

iii. आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेडिकल प्रेक्टिशनर, अस्पताल या किसी अन्य संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दिव्यांगता का पता इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा लगाया जाएगा।

iv. 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को लिखने वाले/पढ़ने वाले की सुविधा और अतिरिक्त समय प्रदान करने में छूट दी जाएगी, यदि व्यक्ति ऐसी इच्छा करता है तो, हालाँकि, इस संबंध में ऐसी सुविधा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार ही प्रदान की जाएगी।

v. अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के स्क्राइब या आईसीएमआर द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्क्राइब की सुविधा लेने का चयन करने का विवेकाधिकार होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उचित विकल्प देना होगा।

vi. पात्र अभ्यर्थियों के लिए स्वयं के स्क्राइब के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वयं के स्क्राइब का विवरण आईसीएमआर को प्रस्तुत करने के बाद स्क्राइब को बदला नहीं जाएगा।

vii. एक आँख वाले अभ्यर्थी और आंशिक रूप से अंधे अभ्यर्थी जो सामान्य प्रश्न पत्र को आवर्धक (मेगनिफाई) लेंस के साथ या उसके बिना पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेंस की मदद से उत्तर लिखना/संकेत देना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और वे स्क्राइब रखने के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में अपना आवर्धक लेंस लेकर आना होगा।

viii. उपर्युक्त पदों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क का भुगतान न करने की छूट है।

12. अन्य शर्तें:

I. अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले भर्ती संबंधी नोटिस को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस नोटिस में बताई गई सभी पात्रता शर्तों - जैसे: आयु-सीमा/अनिवार्य अर्हकताएं /श्रेणी आदि को पूरा करते हैं। पात्रता शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी बिना कोई सूचना दिए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में आवेदकों की उम्मीदवारी पूरी तरह से **अनंतिम** होगी।

II. आवेदन - पत्र ऑनलाइन आवेदन शुल्क के साथ https://recruit.icmr.org.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किए जाने चाहिएं।

III. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र रद्द किए जाने के योग्य है, कारण चाहे जो भी हो।

IV. अपूर्ण या बिना सहायक दस्तावेजों/हस्ताक्षर न होने/फोटो रहित आवेदन/अपलोड किए गए दस्तावेजों के पठनीय न होने पर आवेदन रद्द कर दिए जांएगे।

V. **शैक्षिक योग्यता/विशेषज्ञता/अनुभव/एनओसी से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने चाहिए: जैसाकि दावा किया गया है,**

VI. व्यक्तिगत चर्चा के समय, केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एजेंसियों में काम करने वाले आवेदकों को नियोक्ता से **"सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र"** प्रस्तुत करना होगा, साथ ही यह वचन भी देना होगा कि **"आवेदक को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा"** ।

VII. किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से कोई भी बाहरी प्रभाव (राजनीतिक या अन्यथा) डलवाया गया तो उसकी उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।

VIII. कोई भी अतिरिक्त विवरण/पत्राचार केवल आईसीएमआर वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना के लिए आईसीएमआर की वेबसाइट www.icmr.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। पत्राचार का कोई भी अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

IX. विज्ञापन के विरुद्ध भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

X. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हकता प्राप्त करने के बाद के अनुभव पर ही विचार किया जाएगा।

XI. आईसीएमआर को भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय इस रिक्ति परिपत्र को संशोधित करने, रद्द करने या पुन: प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है।

XII. महानिदेशक, आईसीएमआर लिखित परीक्षा आयोजित करवाने के लिए किसी भी एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

XIII. महानिदेशक, आईसीएमआर भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाने/ बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

XIV. रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

13. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश:

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन बहुत ही सावधानी से भरने चाहिए। गलत तरीके से भरा गया फॉर्म रद्द किया जा सकता है।

क. सामान्य अनुदेश:

i. आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी www.icmr.nic.in या https://recruit.icmr.org.in पर जाकर स्वयं को पंजीकृत करने के बाद निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है।

ii. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख की प्रतीक्षा किए बिना, समय से पूर्व ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।

iii. पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी अंतिम तारीख (कट-ऑफ) पर योग्यता/पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनका आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रणाली द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv. कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अनुदेशों और प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारियों का प्रिंट लेकर जांच कर लें ताकि जानकारी की सत्यता सुनिश्चित हो सके और आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी दस्तावेज अपलोड कर दें।

v. आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, अभ्यर्थी पुनः आवेदन का अंतिम प्रिंट ले सकते हैं।

vi. कोई भी ऑफलाइन आवेदन पत्र या डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति आईसीएमआर द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। हालाँकि, आवेदन पत्र की मूल कॉपी (अंतिम प्रिंट) सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जा सकती है।

vii. आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, अभ्यर्थियों की पात्रता/उपयुक्तता, चयन के तरीके और मानदंड आदि से संबंधित सभी मामलों में आईसीएमआर का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

viii. यदि आवेदन पत्र जमा करने से लेकर नियुक्ति तक किसी भी चरण में सत्यापन के दौरान और नियुक्ति के बाद किसी भी समय यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है या यह पाया जाता है कि दी गई जानकारी झूठी है/छिपाई गई है या गलत है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और वे उनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी को अपने आवेदन में गलत या झूठी जानकारी देकर लाभ हुआ है या नहीं।

ix. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें, यथा नाम, पिता/माता का नाम, जन्म-तिथि और श्रेणी, योग्यता, प्राप्तांक, उत्तीर्ण वर्ष, फोटो, हस्ताक्षर, विवरण आदि। आवेदन पत्र जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी विवरण में परिवर्तन करने के अनुरोध पर आईसीएमआर द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ख. **<u>ऑनलाइन पंजीकरण:</u>**

(i) ऑनलाइन पंजीकरण का चयन करने के बाद, चरणबद्ध तरीके से पूछे गए अनिवार्य विवरण को सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि **पंजीकरण फार्म में भरे गए विवरण को एक बार पंजीकृत होने के बाद बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ii) यह सुनिश्चित करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि पंजीकरण फॉर्म में सही विवरण भरा गया है। **पंजीकरण फॉर्म** में गलत प्रविष्टियों के कारण किसी भी गलत जानकारी/उम्मीदवारी के रद्द होने/नुकसान या संचार की कमी आदि के लिए आईसीएमआर जिम्मेदार नहीं होगा।

(iii) सफल ऑनलाइन पंजीकरण की पावती आवेदक के पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।

(iv) किसी भी आवेदक से (डुप्लिकेट) आवेदन की दो प्रतियां प्राप्त होने पर, ऐसे सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदनों की रद्द किए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

ग. **<u>ऑनलाइन आवेदन भरना:</u>**

i. पंजीकृत उपयोगकर्ता आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आवेदन पत्र तक पहुंचने के लिए 'आवेदक लॉगिन' पर क्लिक करें।

ii. 'आवेदन पत्र पर जाएँ' और बटन पर क्लिक करें और महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें।

आवेदन पत्र को कई खंडों में वर्गीकृत किया गया है। आपको अनुभाग-वार आवेदन पत्र भरना होगा। एक बार किसी अनुभाग में अनिवार्य विवरण भर जाने के बाद, आप उसे सुरक्षित करें औ फिर अगले बटन पर क्लिक करके अगले अनुभाग पर जा सकते हैं। हालाँकि, यदि अनिवार्य जानकारी नहीं भरी गई है या आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड नहीं किए गए हैं, तो आपको अगले अनुभाग पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले अनुभाग पर वापस जाने के लिए, आप पिछले अनुभाग टैब नामक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप अंतिम अनुभाग पूरा भर लेते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको भुगतान करने के लिए पुनः निर्देशित किया जाएगा। भुगतान हो जाने के बाद, आपका आवेदन पूरा माना जाता है। शुल्क केवल नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

iii. सभी आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि फोटो/हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज इन दिशा-निर्देशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किए जाएं। ऐसा न करने और अस्पष्ट दस्तावेज/फोटो/हस्ताक्षर न होने के परिणामस्वरूप आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

घ. <u>आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:</u>

अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक अर्हकता (मैट्रिक और उस से आगे), इन पाठ्यक्रमों में प्राप्त विस्तृत अंकों के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, श्रेणी प्रमाण पत्र एससी/एसटी/ईएक्सएम/ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी, अनुभव के समर्थन में अपने प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित/सत्यापित प्रतियों की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त अपेक्षित दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियों को अपलोड करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(i) आवेदन पत्र पर फोटो स्वयं द्वारा -सत्यापित होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को टोपी, गॉगल्स (धूप में लगाने वाला चश्मा) आदि पहना हुआ नहीं होना चाहिए। नजर वाला चश्मा लगाने की अनुमति है।

(iii) इन अनुदेशों का अनुपालन न करने वाले या अस्पष्ट फोटो, हस्ताक्षर रहित आवेदन

अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(iv) लिखित परीक्षा/दस्तावेजों के सत्यापन के समय उपयोग के लिए कुछ समान फोटो साथ में सुरक्षित रखें।

(v) परीक्षा के समय वास्तविक उपस्थिति और आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फोटो में चेहरे की उपस्थिति के बीच कोई विचलन या विसंगति अभ्यर्थी को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बनाएगी।

16. <u>आवेदन/उम्मीदवारी रद्द करने/ अस्वीकृति करने के कारण:-</u>

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में आवेदकों के आवेदन/उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है:

- आवेदन रूप में अपूर्ण होना।
- हस्ताक्षर में कोई भिन्नता (आवेदन पत्र के प्रिंट पर और अन्य दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए)।
- स्पष्ट फोटो और हस्ताक्षर के बिना आवेदन।
- गैर-छूट प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान न करना।
- अनुदेशों के अनुसार शुल्क का भुगतान न करना।
- कम आयु/अधिक आयु के अभ्यर्थी।
- आवेदन की अंतिम तिथि तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, संबंधित क्षेत्र में अनुभव, आयु का न होना।
- गलत जानकारी या गलत बयान या तथ्यों को छिपाना।
- परीक्षा परिसर/हॉल में निषेधात्मक वस्तुएँ ले जाना।
- दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
- इस नोटिस में सूचीबद्ध किसी भी कदाचार में लिप्त होना।
- जो अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में नशे की हालत में पाया जाता हैं।
- भर्ती प्रक्रिया के दौरान और पदभार ग्रहण करने के बाद भी कोई अन्य अनियमितता पाई गई हो।
- किसी विशेष श्रेणी के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र।
- आवेदन अधूरा है और ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है।
- निर्धारित तरीके से पूरी शुल्क जमा नहीं की गया है।

- आवेदक के पास अंतिम तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक अर्हकता नहीं है।
- आयु के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज, मैट्रिक से आगे की अनिवार्य योग्यता, संबंधित श्रेणी के समर्थन में श्रेणी प्रमाण पत्र (एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक / विभागीय अभ्यर्थी) आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं किए गए हैं।
- अभ्यर्थी कट-ऑफ तारीख /अंतिम तारीख को अधिक आयु का/कम आयु का हो।
- विज्ञापन में यथा निर्धारित अनिवार्य मानदंडों की कमी।

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए कार्य दिवसों में **सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे (IST)** के बीच **011-26589167** पर कॉल करें या helpdesk.egov@icmr.gov.in पर ईमेल करें। भुगतान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया e-payment@icmr.gov.in पर ईमेल करें।

30/07/24

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

<u>अनुलग्नक–1</u>

(आयु में छूट चाहने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

(जिस कार्यालय या विभाग में अभ्यर्थी कार्यरत है, उसके कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाएं)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....केन्द्र/राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी हैं, जो ....रुपये वेतनमान में ....के पद पर कार्यरत हैं तथा जिन्होंने ______________________ ग्रेड में 03 वर्ष की नियमित/निरंतर सेवा की है।

2. उक्त भर्ती हेतु .... पद हेतु आवेदन करने तथा दस्तावेज सत्यापन कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

टेलीफोन नं. ....

कार्यालय की मोहर ....

स्थान: ....

तारीख: ....

ईमेल आईडी:..

(*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुलग्नक-2

फॉर्म-V

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी निर्बलता (लकवा) तथा अंधेपन के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण-पत्र संख्या .... दिनांक: ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....जन्म तिथि .... (दिनांक/माह/वर्ष) आयु ....वर्ष, पुरुष/महिला ....पंजीकरण संख्या ...., जो मकान संख्या ....वार्ड/गांव/गली ....डाकघर ....जिला ....राज्य ....का स्थायी निवासी है जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानीपूर्वक जांच की गई और मैं संतुष्ट हूं कि:

(क) उनमें निम्न में से एक का मामला है:

- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन
- अंधापन

(कृपया जो लागू हो, उस पर सही का निशान लगाएँ)

(ख) उसके मामले में उपचार है कि ....

(ग) दिशा-निर्देशों के अनुसार ....(शरीर के अंग) के संबंध में ....%(आंकड़ों में)................................प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता/बौनापन/अंधापन है (दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख विनिर्दिष्ट की जाए)।

2. आवेदक ने आवासीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज़ का प्रकार	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

प्रपत्र-VI

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

(एकाधिक दिव्यांगता के मामले में) [नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण-पत्र सं.......................   दिनांक: ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी..................................पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.......................................जन्म-तिथि................(दिनांक)/(मास)/(वर्ष).......आयु........वर्ष, पुरुष/महिला.................पंजीकरण-संख्या.................................,मकान संख्या............... वार्ड/गांव/गली..डाकघर...........................जिला............... ....राज्य...................... का स्थाई निवासी है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:

(क) यह एक एकाधिक दिव्यांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है ....(दिशा-निर्देशों के जारी होने की संख्या और तारीख विनिर्दिष्ट की जाए है) दिव्यांगताओं के लिए, और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने सही का निशान लगाया गया है:

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दुर्बलता/मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मस्कुलर - डिस्ट्रोफी			
3.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति			
4.	बौनापन			
5.	सेरेब्रल घात			
6.	तेजाब आक्रमण के पीड़ित			
7.	निम्न दृष्टि	#		
8.	अंधापन	#		
9.	बधिर	£		
10.	बहरा	£		
11.	वाणी और भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			

16.	दीर्घकालिक तंत्रिका दशाएं			
17.	मल्टीपल- स्केलेरोसिक			
18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफिलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त के आलोक में, दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता (दिशा-निर्देशों के जारी होने की संख्या ....और तारीख.......................... विनिर्दिष्ट की जाए) निम्नानुसार है:-

अंकों में:............................... प्रतिशत..........................

शब्दों में:... प्रतिशत ....

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) अनिवार्य नहीं,

और

(ii) वर्ष .... और ....महीनों के पश्चात अनुशंसित किया जाता है, यह प्रमाण-पत्र ....(दिन)/(माह)/(वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ e.g. बायां/दायां/दोनों बांहें/पैर

e.g एक आँख

£ e.g. बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अवास के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज़ का प्रकार	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर।

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

प्रपत्र -VII

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

[नियम 18(1) देखें]

प्रमाण-पत्र सं.................. दिनाँक:...................

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....जन्म तिथि (दिनांक)/(मास)/(वर्ष) ....आयु ....वर्ष, पुरुष/महिला ....पंजीकरण संख्या ....मकान संख्या ....वार्ड/गांव/गली ....डाकघर.......................................जिला.......................
राज्य ....का स्थाई निवासी है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया हुआ है, की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि वे यह एक .... दिव्यांगता का मामला है। उसकी शारीरिक दुर्बलता/ दिव्यांगता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किए गए) के अनुसार किया गया है तथा नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:-

	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दुर्बलता/मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	पेशीय दुष्पोषण			
3.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति			
4.	मस्तिष्क - घात			
5.	तेजाब आक्रमण के पीड़ित			
6.	निम्न दृष्टि	#		
7.	बहरा	£		
8.	उँचा सुनने वाला व्यक्ति	£		
9.	वाणी और भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालीक तंत्रिका दशाएं			
15.	मल्टीपल स्केलेरोसिक			
16.	पार्किंसंस रोग			

17.	हीमोफिलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन दिव्यांगताओं को काट दें जो लागू नहीं हैं।)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) अनिवार्य नहीं,

और

(ii) वर्ष ....महीनों के पश्चात अनुशंसित किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र ....(दिन)/(माह)/(वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ e.g. बायां/दायां/दोनों बांहें/पैर

e.g एक आँख/दोनों आँख

£ e.g. बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज़ का प्रकार	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नोट: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

नोट: इस संबंध में सामाजिक न्यायायिक एवं श्रमशक्ति मंत्रालय, द्वारा भारत सरकार के गजट में दिनांक 15.06.2017 की अधिसूचना संख्या 489 में प्रकाशित प्रमुख नियम है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण - पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री..निवासी ग्राम/कस्बा .... /जिला/संभाग* ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.................. के.....................जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

* संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950।
*संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950।
*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश, 1951;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश, 1951; [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।]
* संविधान (जम्मू और कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956।
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962।
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962।
*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964।
*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967।
*संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968।
*संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968।
*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
*संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989।
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990।
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
*अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती*.......................... पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी.......................... को निवासी .... ग्राम/कस्बा .... जिला/संभाग .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण - पत्र के आधार पर किया जाता है जो ....जाति/जनजाति से संबंधित है जो .... दिनांक .... द्वारा जारी ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी .... *और/या* उनका/उनका* परिवार सामान्यतः .... गांव/कस्बा.......................जिला/संभाग..................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... में रहता है।

स्थान...........................
दिनांक..........................

पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
नोट: (क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः का प्रयोग करते हैं' इसका वही अर्थ होगा जैसा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है। जाति/जनजाति प्रमाण - पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाए।

जाति/जनजाति प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नानुसार है:

1. 1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो

4. क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

संदर्भ संख्या:- (O.M.NO.36012/6/88- Estt. (SCT) दिनांक 24.4.1990 और OM No.36012/22/93- Estt(Res) दिनांक 15.11.1993 और OM No.36011/3/2009- Estt(Res) दिनांक 02.09.2009).

अनुलग्नक IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा (ओबीसी) दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमरी*................................ पुत्र/पुत्री ....गांव ....जिला/संभाग ....प्रदेश .... के निवासी हैं और .... समुदाय से हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में निम्नलिखिता अनुसार मान्यता प्राप्त है:

i) भारत के असाधारण राजपत्र - भाग ।, खण्ड ।, संख्या 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93- बीसीसी दिनांक 10 सितम्बर, 1993, ।

ii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग । खण्ड । संख्या 163, दिनांक 19.10.1994 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994

iii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-। खण्ड । संख्या 88 दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95- बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995 ।

iv) संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 9 मार्च, 1996।

v) भारत के राजपत्र - असाधारण-भाग 1, खंड-1, संख्या 210, दिनांक 11 दिसंबर, 1996 को प्रकाशित 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1996, ।

vi) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर, 1997

vii) संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11 दिसंबर, 1997।

viii) संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27 अक्टूबर, 1999।

ix) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।, खंड-। संख्या 270, 6 दिसंबर, 1999 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर, 1999, ।

x) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।, खंड-।, संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 4 अप्रैल, 2000, ।

xi) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।, खंड-।, संख्या 71 साधारण भाग-।, खंड-।, संख्या 210 दिनांक 21.9.2000 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21.9.2000,.

श्री/श्रीमती/कुमारी ....और/या उनका परिवार सामान्यतः ....राज्य के ....जिले/मंडल में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 - स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और जिसे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 द्वारा संशोधित किया गया है।

दिनांक:....................................

जिला मजिस्ट्रेट या.......................................

उपायुक्त आदि

मोहर:......................................

नोट-।: (क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः' का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

(ख) नीचे बताए गए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उप आयुक्त/अपर डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका

मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हो।

(iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

नोट-II: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की ओबीसी स्थिति की गणना की तिथि माना जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नहीं आता है। ओबीसी अभ्यर्थियों को नोटिस में निर्धारित अंतिम तिथि तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुलग्नक -V

<u>केवल ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली घोषण</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी गाँव/कस्बा/शहर .... जिला .... राज्य .... प्रमाण पत्र संलग्न) एततद्वारा द्वारा घोषणा करता/ती हूँ कि मैं.. समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8-9-1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा एक पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता है। मैं यह भी घोषित करता/ती हूं कि मैं दिनांक 08.09.93 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3 में और उसके बाद के दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के कार्या ज्ञा.सं.36033/3/2004-स्था.(आरईएस) के संशोधनों में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

स्थान.........................

(आवेदक के हस्ताक्षर, चलित हस्तलिपि में)

दिनांक..........................

नोट: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अभ्यर्थी की ओबीसी स्थिति की गणना की तारीख माना जाएगा तथा यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

अनुलग्नक –VII(क)

स्वयं के स्क्राइब का उपयोग करने हेतु वचनबद्धता

मैं..,जोकि.. (विकलांगता का नाम), जो .... (परीक्षा देने वाले का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, मेरा रोल नंबर .... है, जो ....(केंद्र का नाम) ....(राज्य का नाम) ....जिले में है। मेरी योग्यता ________________ है।

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि .... (स्क्राइब) का नाम) उपर्युक्त परीक्षा में अधोहस्ताक्षरी हेतु लेखक/पाठक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता .... है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित योग्यता के समान नहीं है तथा मेरी योग्यता से परे है, तो मैं इससे संबंधित पद तथा दोनों के अधिकार वापस ले लूंगा।

(दिव्यांग अभ्यार्थी के हस्ताक्षर)

नाम:

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक –VII (ख)

स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचनबद्धता

नोट: वे अभ्यर्थी जो दृष्टिबाधित (VI) हैं / अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी / मस्कुलर डिस्ट्रॉफी / लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ) / बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) से प्रभावित है वे अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करने हेतु पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब (लेखक) का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम...
2. रोल नं. ....
3. परीक्षा केंद्र का नाम ....
4. उम्मीदवार की योग्यता ....
5. दिव्यांगता का प्रकार ....
6. स्क्राइब का नाम..
7. स्क्राइब की जन्म तिथि ....
8. स्क्राइब के पिता का नाम..
9. स्क्राइब का पता:

(क) स्थायी पता..

....

(ख) वर्तमान पता...

....

10. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता...............................
11. अभ्यार्थी के साथ स्क्राइब (लेखक) का संबंध, यदि कोई हो ....

12. **घोषणा:**

i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइबों द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में पीजीआईएमईआर के अनुदेशों को पढ़ लिया है/हमें पढ़कर सुनाया गया है और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।

ii) हम इस बात का वचन देते हैं कि स्क्राइब की योग्यता सही बताई गई है और स्क्राइब की योग्यता अभ्यार्थी की योग्यता से एक कदम कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा बताई गई योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो मैं (उम्मीदवार) इससे संबंधित एवं दावों के अधिकार वापस ले लूंगा।

iii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं है। हमे ज्ञात हैं कि यदि अन्यथा कोई मामला पाया गया तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

iv) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब (लेखक) ने इस परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।

(अभयार्थी के हस्ताक्षर)	(स्क्राइब के हस्ताक्षर)
ऊपर दिए गए बॉक्स में अभ्यार्थी के बाएं अंगूठे का निशान लगाएं	ऊपर दिए गए बॉक्स में स्क्राइब के बाएं अंगूठे का निशान लगाएं

<u>परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक/कार्यालय अधीक्षक के हस्ताक्षर</u>